

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश संख्या-2ब0/जला0-01-01/2016 458 /न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक-28/9/16

कार्यालय आदेश

1. राज्य के सभी नगर निकायों में हर घर नल जल उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" आरंभ करते हुए तत्काल राज्य के 85 नगर निकायों में कुल ₹51916.61298 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है।
2. राज्य के नगर निकायों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का पदनाम	
1.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
4.	अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5.	श्री सतीश अग्रवाल, डिप्टी टीम लीडर, स्पर	सदस्य

3. यह समिति योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी पहलुओं (तकनीकी पहलू सहित) पर पूर्ण विचारोपरांत विस्तृत दिशा निदेश के साथ मॉडल Tender Document (RFP) इत्यादि तैयार कर अपनी अनुशंसा के साथ दिनांक- 14.10.2016 तक अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगी।

विश्वामाजिन,
27/9/2016
(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब0/जला0-01-01/2016 6833 /न0वि0 एवं आ0वि0/पटना, दिनांक-29/9/16

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री सतीश अग्रवाल, डिप्टी टीम लीडर, स्पर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

27/9/2016
सरकार के प्रधान सचिव।